




ESTD. 1975

KAMKUS COLLEGE OF LAW

A Postgraduate College for Legal Education

(Affiliated to CCS University, Meerut & Approved by Bar Council of India, New Delhi)
Registered with UGC & MHRD under Sec 2(F) & 12B ISO 9001:2015 Cert No. 305021060413Q




REPORT ON ONE-DAY NATIONAL SEMINAR

ON

“One Human Family - *Vasudhaiva Kutumbakam*”

(14th OCTOBER, 2023)



Kamkus College of Law has Organised a One-Day National Seminar on October 14, 2023 in library hall. The seminar was themed "**One Human Family - *Vasudhaiva Kutumbakam***", and it delved into pressing issues related to the increasing pendency of cases in the Indian judicial system. The event aimed to shed light on the importance of the Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanism and explored the possibility of a Uniform Civil Code (UCC) for families.

The National Seminar on October 14, 2023, was a critical platform for discussing the issues and finding solutions to alleviate the burden on India's judicial system. Distinguished guests and speakers from various legal backgrounds has shared their insights and expertise. By addressing those challenges, we can strengthen our judicial system, promote harmony within families, and reinforce the bonds of a unified human family.

The program started at 10:30 AM with the welcome address by Principal **Dr Sanjeev Kumar Tyagi**. The Dignitaries on the dais were **Dr Markandey Rai**, Chairman, GPF India & Chancellor, The Global Open University, **Dr G.V. Rao**, **Sh. Anil Kumar** Hon., District Judge of Ghaziabad, U.P., Senior Advocate, Supreme Court of India, **Smt. Reeta Singh**, Additional District Judge, Ghaziabad, **Sh. Prabhu Razdan** Advocate, Supreme Court, Columnist Legal Issues, New Delhi

The program was started by the opening remarks of **Dr G.V. Rao**, Senior Advocate Supreme Court of India, Vice-President ISIL, New Delhi He highlighted the importance of family system and need for mediation in the family matters so that the institution of marriage be preserved.




ESTD. 1975

KAMKUS COLLEGE OF LAW

A Postgraduate College for Legal Education

(Affiliated to CCS University, Meerut & Approved by Bar Council of India, New Delhi)
Registered with UGC & MHRD under Sec 2(F) & 12B ISO 9001:2015 Cert No. 305021060413Q



Dr G.V Rao, Senior Advocate Supreme Court of India, Vice-President ISIL, New Delhi addressing the Seminar

Sh. Anil Kumar, District Judge, Ghaziabad, U.P. addressed the seminar with the problem of pendency of cases in courts and said that one family dispute results in 5 cases including domestic violence, dowery, divorce etc., so it is essential to address this problem.



Sh. Anil Kumar, District Judge, Ghaziabad, addressed the seminar

Smt. Reeta Singh also talked about the delay in the justice due to pendency of cases and need for appointment of more judges. Delay in justice is equal to no justice at all, she added.




ESTD. 1975

KAMKUS COLLEGE OF LAW

A Postgraduate College for Legal Education

(Affiliated to CCS University, Meerut & Approved by Bar Council of India, New Delhi)
Registered with UGC & MHRD under Sec 2(F) & 12B ISO 9001:2015 Cert No. 305021060413Q



Smt. Reeta Singh, Additional District Judge, Ghaziabad

Sh. Prabhu Razdan Advocate, Supreme Court, Columnist Legal Issues, New Delhi focused on need for uniform civil code for families and how ADR mechanism can play a pivotal role in tackling the challenges of cases backlog and delayed justice.

Dr Markandey Rai, Chairman, GPF India & Chancellor, The Global Open University Focused on family education promoting ethical behaviour within families, understanding relationship and also takes about *Vasudhaiva Kutumbakam*.

Vote of thanks was given by Principal Dr Sanjeev Kumar Tyagi. Students of Kamkus College of Law also gave their speech on the related topic. **Shareen Aafreen** of B.A.LL.B IXth Sem talked about marriageable age of child in India, **Varshika** of B.A.LL.B VIIth Sem focused on the need of ADR Mechanism, **Deepanshu Gupta** of B.A.LL.B. IIIrd Sem spoke about pendency of cases in courts and need for appointment of more judges. **Pari Arora**, B.Com.LL.B. 1st Sem. also talked about ADR system in India.

Finally, the Poster session was conducted in which the posters prepared by the students on the related topics of seminar were displayed. All the dignitaries appreciated the efforts of students. The program wrapped up around 3:30 PM.

Impact Analysis:

The seminar provided a platform for in-depth discussion on the problem of increasing burden on Courts, relevance of ADR System for reducing the burden on courts and for speedy and less expensive mechanism for settlement of Disputes and the need for a uniform civil code for families. It was an engaging and informative event and Kamkus College is looking forward to organise more such seminars to address the legal issues and problems.





ESTD. 1975


KAMKUS COLLEGE OF LAW

A Postgraduate College for Legal Education


(Affiliated to CCS University, Meerut & Approved by Bar Council of India, New Delhi)
Registered with UGC & MHRD under Sec 2(F) & 12B ISO 9001:2015 Cert No. 305021060413Q




Mohini Sharma BA LLB
9th Semester




Pari Arora B.COM 1st Semester



Asif BA LLB 3rd Semester



Divyanshi Tiwari BA LLB 3rd Semester



Srishti BA LLB 5th Semester

Posters prepared by the students on the related topics of seminar

कैमकुस लॉ कॉलेज में जिला जज ने की वैकल्पिक विवाद निवारण (एडीआर) तंत्र को अपनाने की अपील

उद्यम भूमि खूबो



गाजियाबाद। भागीरथ सेवा संस्थान द्वारा संचालित कैमकुस कॉलेज ऑफ लॉ द्वारा संविदा की अदालतों में लंबित मामलों को बढ़ती संख्या, वैकल्पिक विवाद निवारण (एडीआर) तंत्र और परिवारों के लिए एकल कानून प्रावधान (यूसीसी) विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विषय पर एक्सपर्ट्स ने अपनी राय रखी। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. मार्कण्डेय राय, चेयरमैन जोपीएफ इंडिया एवं चांसलर, ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में जिला जज अनिल कुमार ने शिरकात की। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. जीवी राव, प्रभु राजदान और एडीशनल जिला जज रीता सिंह ने कार्यक्रम को शोभा बढ़ाते हुए विषय पर अपना पक्ष रखा। उसके पहले कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉ. मार्कण्डेय राय और मुख्य अतिथि जिला जज अनिल कुमार एवं अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। जिला जज अनिल कुमार ने अदालतों में लंबित पड़े मामलों की संख्या पर चिंता जताई और कहा कि प्रतिदिन मामलों में गुणात्मक वृद्धि हो रही है। लेकिन वादियों की व्यक्तिगत इंगो के कारण मुकदमों दर्ज हो जाते हैं, जो कि नहीं होंना चाहिए। जिला जज ने कहा कि एक मुकदमा कई मुकदमों को जन्म देता है। देहेज का एक मुकदमा 5-5 मुकदमों कोट में खड़े कर देता है।

जोजे प्रतापनानी आर्डीपीसी को धारा-498 ए के प्रावधान का पीछे के रिश्तेदारों के खिलाफ अपन संवेद दुरुस्ल किक जा रहा है। पुरीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के क्रिमिनल केस नियमों की होना संपादित भी क्यों न हो फिर भी आरोपी के लिए यह नमीर दण्ड छोड़ जजा है। इस तरह के केस प्रत्येक को मानवतुष गण्ड गण्डकारिक करने की जरूरत है। जिससे विवादों का निवारण श्द करने से पहले कोर्ट के बाहर वैकल्पिक रूप से हल किए जा सकें।

महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र प्रावधान न्यायपालिका को वैकल्पिक रूप से विकसित तकनीक प्रदान करता है जो अदालतों पर बोझ को कम करने में मदद करता है। कैमकुस कॉलेज ऑफ लॉ के डायरेक्टर करुणाकर रावला ने कहा कि वैकल्पिक विवाद निवारण (एडीआर) तंत्र को और अधिक मानवतुष गण्ड गण्डकारिक करने की जरूरत है। जिससे विवादों का निवारण श्द करने से पहले कोर्ट के बाहर वैकल्पिक रूप से हल किए जा सकें।

जिला जज ने की वैकल्पिक विवाद निवारण की अपील

गाजियाबाद (युग करवट)। भागीरथ सेवा संस्थान द्वारा संचालित कैमकुस कॉलेज ऑफ लॉ द्वारा भागीरथ सेवा संस्थान द्वारा संचालित कैमकुस कॉलेज ऑफ लॉ में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या, वैकल्पिक विवाद निवारण (एडीआर) तंत्र और परिवारों के लिए एकल कानून प्रावधान (यूसीसी) विषय पर एक कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉ. मार्कण्डेय राय, चेयरमैन जोपीएफ इंडिया एवं चांसलर, ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी के डॉ. मार्कण्डेय राय और मुख्य अतिथि जिला जज अनिल कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता



को जन्म देता है। देहेज का एक मुकदमा 5-5 मुकदमों कोट में खड़े कर देता है। इसलिए उन्हीं वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र को अपील की। कैमकुस कॉलेज ऑफ लॉ के डायरेक्टर करुणाकर रावला ने कहा कि वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र को और अधिक मजबूत तथा व्यावहारिक करने की जरूरत है जिससे विवादों का निवारण वाद बनने से पहले कोर्ट के बाहर वैकल्पिक रूप से हल किए जा सकें।

कैमकुस लॉ कॉलेज में जिला जज ने की वैकल्पिक विवाद निवारण (एडीआर) तंत्र को अपनाने की अपील

वैकल्पिक इंडिया



गाजियाबाद। भागीरथ सेवा संस्थान द्वारा संचालित कैमकुस कॉलेज ऑफ लॉ द्वारा संविदा को अदालतों में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या, वैकल्पिक विवाद निवारण (एडीआर) तंत्र और परिवारों के लिए एकल कानून प्रावधान (यूसीसी) विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विषय पर एक्सपर्ट्स ने अपनी राय रखी। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. मार्कण्डेय राय, चेयरमैन जोपीएफ इंडिया एवं चांसलर, ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में जिला जज अनिल कुमार ने शिरकात की। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. जीवी राव, प्रभु राजदान और एडीशनल जिला जज रीता सिंह ने कार्यक्रम को शोभा बढ़ाते हुए विषय पर अपना पक्ष रखा। उसके पहले कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉ. मार्कण्डेय राय और मुख्य अतिथि जिला जज अनिल कुमार एवं अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। जिला जज अनिल कुमार ने अदालतों में लंबित पड़े मामलों की संख्या पर चिंता जताई और कहा कि प्रतिदिन मामलों में गुणात्मक वृद्धि हो रही है। लेकिन वादियों की व्यक्तिगत इंगो के कारण मुकदमों दर्ज हो जाते हैं, जो कि नहीं होंना चाहिए। जिला जज ने कहा कि एक मुकदमा कई मुकदमों को जन्म देता है। देहेज का एक मुकदमा 5-5 मुकदमों कोट में खड़े कर देता है।

जोजे प्रतापनानी आर्डीपीसी को धारा-498 ए के प्रावधान का पीछे के रिश्तेदारों के खिलाफ अपन संवेद दुरुस्ल किक जा रहा है। पुरीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के क्रिमिनल केस नियमों की होना संपादित भी क्यों न हो फिर भी आरोपी के लिए यह नमीर दण्ड छोड़ जजा है। इस तरह के केस प्रत्येक को मानवतुष गण्ड गण्डकारिक करने की जरूरत है। जिससे विवादों का निवारण श्द करने से पहले कोर्ट के बाहर वैकल्पिक रूप से हल किए जा सकें।

कैमकुस लॉ कॉलेज में हुई कॉन्फ्रेंस, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र को अपनाने की अपील

गाजियाबाद (करंट ब्राह्म)। भागीरथ सेवा संस्थान द्वारा संचालित कैमकुस कॉलेज ऑफ लॉ द्वारा अदालतों में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या, वैकल्पिक विवाद निवारण (एडीआर) तंत्र और परिवारों के लिए एकल कानून प्रावधान (यूसीसी) विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विषय पर एक्सपर्ट्स ने अपनी राय रखी। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. मार्कण्डेय राय, चेयरमैन जोपीएफ इंडिया एवं चांसलर, ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में जिला जज अनिल कुमार ने शिरकात की। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. जीवी राव, प्रभु राजदान और एडीशनल जिला जज रीता सिंह ने कार्यक्रम को शोभा बढ़ाते हुए विषय पर अपना पक्ष रखा। उसके पहले कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉ. मार्कण्डेय राय और मुख्य अतिथि जिला जज अनिल कुमार एवं अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। कैमकुस कॉलेज ऑफ लॉ के डायरेक्टर करुणाकर रावला ने कहा कि वैकल्पिक विवाद निवारण (एडीआर) तंत्र को और अधिक मानवतुष गण्ड गण्डकारिक करने की जरूरत है जिससे विवादों का निवारण वाद बनने से पहले कोर्ट के बाहर वैकल्पिक रूप से हल किए जा सकें।



देहेज का एक मुकदमा कोट में खड़े कर देता है 5-5 मुकदमों: जिला जज अनिल कुमार

(करंट ब्राह्म)। जिला जज अनिल कुमार ने अदालतों में लंबित पड़े मामलों की संख्या पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रतिदिन मामलों में गुणात्मक वृद्धि हो रही है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो कोर्ट के बाहर भी सेंटल हो सकते हैं, लेकिन वादियों की व्यक्तिगत इंगो के कारण मुकदमों दर्ज हो जाते हैं, जो कि नहीं होंना चाहिए। एक मुकदमा कई मुकदमों को जन्म देता है। देहेज का एक मुकदमा 5-5 मुकदमों कोट में खड़े कर देता है।